संख्या-215/2023/।/350753/2023/23-11099(099)/27/2022

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 17/07/2023**

विषयः- जनपद अम्बेडकर नगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा के मध्य रेलवे सम्पार संख्या-13बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-75/आर0ओ0बी0/अयोध्या क्षेत्र/सेतु-3/2021, दिनांक 13-12-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा के मध्य रेलवे सम्पार संख्या-13बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा शतप्रतिशत व्यय भार वहन करते हुए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से सीधे एम0ओ0यू0 के आधार पर कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति दिये जाने के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा के मध्य रेलवे सम्पार संख्या-13बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए एन0टी0पी0सी0 टाण्डा एवं उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के मध्य सीधे समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के आधार पर कराया जायेगा।

(2) उक्त आर0ओ0बी0 निर्माण का सम्पूर्ण व्यय भार एन0टी0पी0सी0 द्वारा वहन किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना के पुनरीक्षित होने या अन्य किसी भी दशा में कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं की जायेगी।

(3) परियोजना पूर्ण कर सुचारू रूप से न्यूनतम एक वर्ष यातायात चलने तक पूर्ण व्यय भार की धनराशि एन0टी0पी0सी0 द्वारा ही वहन की जायेगी।

(4) परियोजना पूर्ण होने पर डी0एल0पी0 अवधि के पश्चात सेतु निगम द्वारा सभी संरचनाएं हस्तान्तरण करने के उपरान्त सामान्य रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

(5) आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य की लागत का सम्पूर्ण व्यय भार एन0टी0पी0सी0 द्वारा वहन किया जायेगा और वांछित धनराशि एन0टी0पी0सी0 द्वारा सेतु निगम को सीधे आपसी समझौते के अनुसार ससमय उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व एन0टी0पी0सी0 एवं सेतु निगम द्वारा परियोजना कार्य से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायेगी।

(7) परियोजना का निर्माण कार्य यदि एकल इकाई के आधार पर किया जाता है तो इस हेतु रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र एम0ओ0यू0 के पूर्व प्राप्त कर लिया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) रेलवे से सभी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र, जी0ए0डी0 एवं परिकल्पना आदि समय से एन0टी0पी0सी0 एवं सेतु निगम द्वारा प्राप्त कर ली जायेंगी।

(9) परियोजना कार्यान्वयन में रेलवे के पूर्ण सुरक्षा मानको एवं सडक सुरक्षा मानको के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी एन0टी0पी0सी0 एवं उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 की होगी।

(10) रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण में रेल विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के सभी सुरक्षा एवं निर्माण मानको का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि इसमें किसी प्रकार की अवहेलना होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 का होगा।

(11) परियोजना क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एन0टी0पी0सी0 एवं उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा उसका समाधान आपसी समझौते के अनुसार सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- मुख्य महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, टाण्डा अम्बेडकरनगर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- अपर महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, टाण्डा अम्बेडकरनगर।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in